रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 1, 1974/माघ 12, 1895

No. 25] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 1974/MAGHA 12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February 1974

PRIZE INCENTIVE SCHEME FOR HOLDERS OF POST OFFICE SAVINGS BANK ACCOUNT

No. F. 3(31)-NS/73.—This Ministry's Notification No. F. 3(11)-NS/72 dated the 16th October, 1973, as amended by subsequent notification dated 1st November, 1973, is hereby further amended as under :—

1. For the existing Paragraph 1, the following shall be substituted :—

Account holders, who have kept a balance of not less than Rs. 200/-, which qualifies for interest for the months of December 1973 to March 1974, will be eligible for participation in the draw for prizes to be held in or around July 1974. The following prizes will be awarded ;

1 First Prize of Rs. 2,50,000	Rs. 2,50,000
5 Second Prizes of Rs. 1,00,000	Rs. 5,00,000
10 Third Prizes of Rs. 50,000	Rs. 5,00,000
100 Fourth Prizes of Rs. 10,000	Rs. 10,00,000
1000 Fifth Prizes of Rs. 500/-	Rs. 5,00,000
10000 Sixth Prizes of Rs. 50/-	Rs. 5,00,000
TOTAL AMOUNT OF PRIZE MONEY	Rs. 32,50,000

2. Commencing from the financial year 1974-75, there will be two draws in a year for the awar. of the prizes. The account holders of Post Office Savings Bank accounts having a minimum balance of not less than Rs. 200/- are eligible to participate. The first of these draws will be held in January 1975 covering accounts having balance of not less than Rs. 200 - which qualifies for interest for the months of the first half year April to September 1974. The other draw will be held in July 1975 covering the accounts having balence of not less than Rs. 200/- which qualifies for interest for the months of the second half-year October 1974 to March 1975. Similar draws for award of prizes will be held in January and July of each subsequent year. There shall be 11,116 prizes in each draw for prizes as detailed below :—

1 1st Prize	Rs. 1,00,000
5 2nd Prizes of Rs. 50,000 each	Rs. 2,50,000
10 3rd Prizes of Rs. 20,000 each	Rs. 2,00,000
100 4th Prizes of Rs. 5,000 each	Rs. 5,00,000
1000 5th Prizes of Rs. 500 each	Rs. 5,00,000
10000 6th Prizes of Rs. 50 each	Rs. 5,00,000
TOTAL	Rs. 20,50,000

3. In Paragraph 3 of the Notification dated the 16th October, 1973, after the figures and words "31st March", the following shall be added :—

"Or 30th September, as the case may be".

4. Paragraph 7 of the Notification dated 16-10-73 mentioned above, stands deleted.

By Order of the President,
B. MATHREYAN,
Joint Secy. (Budget)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1974

डाकघर के बचत बैंक में खाता खोलने के लिये प्रोत्साहन देने के लिए इनामों की योजना

सं० एफ० 3(31)-एम० एस०/73.—इस मंत्रालय की 16 अक्तूबर 1973 की अधिसूचना संख्या एफ० 3(11)-एन० एस०/72 में जिसका संशोधन बाद में पहली नवम्बर 1973 की अधिसूचना द्वारा किया गया था एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधित किया जाता है :—

1. मौजूदा पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा गया :—

जिन लोगों के खातों में कम से कम 200 रुपये की ऐसी रकम जमा रही हो जिस पर दिसम्बर 1973 से मार्च 1974 तक के महीनों का ब्याज मिल सकता हो वे जुलाई 1974 में या उसके आस पास निकाले जाने वाले इनामों में भाग ले सकते हैं। ये पुरस्कार निम्नलिखित रूप में दिए जायेंगे :—

2,50,0000 रुपये का	पहला इनाम	—एक	2,50,000 रुपये
1,00,000 ,,	,, दूसरा	—पांच	5,00,000 रुपये
50,000 ,,	,, तीसरा	—दस	5,00,000 रुपये
10,000 ,,	,, चौथा	—सौ	10,00,000 रुपये
500 ,,	,, पांचवां	—हजार	5,00,000 रुपये
50 ,,	,, छठा	—दस हजार	5,00,000 रुपये
	इनामों की कुल रकम		32,50,000 रुपये

2. ये इनाम एक वर्ष में दो बार निकाले जायेंगे और यह 1974-75 के वित्तीय वर्ष से शुरू होंगे । डाकघर बचत बैंक में जिन लोगों के खाते में कम से कम 200/- रुपये की रकम रहेगी वे इसमें भाग ले सकेंगे । यह इनाम सबसे पहले जनवरी 1975 में निकाले जायेंगे और इनमें वे खाते शामिल होंगे जिनमें कम से कम 200/- रुपये की ऐसी रकम जमा रहेगी जिस पर अप्रैल से सितम्बर 1974 तक की पहली छमाही के महीनों का ब्याज मिल सकता हो । अगले इनाम जुलाई 1975 में निकाले जायेंगे और उनमें वे खाते शामिल होंगे जिनमें कम से कम 200/- रुपयें की रकम ऐसी होगी जिस पर अक्तूबर 1974 से मार्च 1975 तक दूसरी छमाही के महीनों का ब्याज मिल सकता हो । यह इनाम इसके बाद हर साल जनवरी और जुलाई में निकाले जाते रहेंगे । हर बार 11,116 इनाम होंगे जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

पहला इनाम	एक	1,00,000 रुपये
50,000-50,000 रुपये का दूसरा इनाम	—पांच	2,50,000 रुपये
20,000-20,000 रुपये का तीसरा इनाम	—दस	2,00,000 रुपये
5,000-5,000 रुपये का चौथा इनाम	—सौ	5,00,000 रुपये
500-500 रुपये का पांचवां इनाम	—हजार	5,00,000 रुपये
50-50 रुपये का छठा इनाम	—दस हजार	5,00,000 रुपये
जोड़		20,50,000 रुपये

3. 16 अक्तूबर 1973 की अधिसूचना के पैरा 3 में '31 मार्च' के अंकों और शब्दों के आगें निम्नलिखित जोड़ा गया :—

"या 30 सितम्बर जैसी कि स्थिति हो ।"

4. 16 अक्तूबर 1973 की उक्त अधिसूचना में से पैरा 7 हटा दिया गया ।

राष्ट्रपति के आदेश से

बी० मैत्रेयन

संयुक्त सचिव (बजट) ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974